2149

Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि सरकार/निदेशालय द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशानुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी नये संस्थान में समय अवधि के भीतर कार्यग्रहण नहीं करते तथा जारी स्थानान्तरण आदेशानुसार संस्थान मुखिया द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को समय अवधि के भीतर भारमुक्त नहीं किया जाता और सरकार/निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की समय पर पालना नहीं हो रही है।

अतः सभी संस्थान मुखियों को आदेश दिये जातें है कि सरकार/निदेशालय द्वारा जब भी किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाये तो उन आदेशों की दृढ़ता से पालना करते हुये अपने नये संस्थान में कार्यग्रहण करे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को नये संस्थान में कार्यग्रहण करने के लिये शीघ्र अति शीघ्र समय अवधि के भीतर भारमुक्त करे। यदि भविष्य में स्थानान्तरण उपरांत कोई संस्थान मुखिया समय पर अपने नये संस्थान में कार्यग्रहण नहीं करता या अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को समय अवधि के भीतर भारमुक्त नहीं किया जाता तो यह मामला निदेशालय के संज्ञान में आते ही सम्बन्धित दोषी के विरूद्व कड़ी अनुशानिक कार्यवाही की जायेगी।

ANSHAJ SINGH
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा

दिनांक 9.9.2016

पृ0 क्रमांक ई.एच–I/एए/टीए/डी.आई.टी. आदेश/8683 दिनांक 16/9/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. निदेशालय पर कार्यरत सभी अधिकारी (सिवाये निदेशक)।
2. निदेशालय पर कार्यरत स्थापना–1, 2, 3 व 4 अनुभागो के मुखिया।
3. निजी सहायक/निदेशक।
4. उप–कार्यालय (हरियाणा राज्य में)।

15/9/16

सहायक निदेशक (स्थापना–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

✓ C.C. नोडल अधिकारी (वेबसाईट)